

फर्द अहकाम

कमली देवी वगै०

सिरोही गृह निर्माण समिति बनाम

न्यायालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी जोबनेर
केस सं० 214/2025

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	12.11.2025	अधिवक्ता श्री बिरदीचन्द वर्मा द्वारा वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्टे हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिए रजि०एडी० नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 10.12.2025 को पेश हो। <i>Neha</i> उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	
	10.12.25	पत्रावली पेश हुई। आज अधिवक्ता संघ ने कार्य स्थागित रखा है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 24.12.25 को पेश हो ॥	
	19.12.25	अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आवत वाद विद्वां क्रमाने पेश करने पर पत्रावली आज की मेथी में ली गयी। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र रख आदेश का पेश किया गया की वाद में प्रकरों के मध्य खींचाया ही चुका है। बसपिच वाद को आगे नहीं खाना चाहते। अतः वाद पर विद्वां क्रमाने की स्वीकृति प्रदान कराने। अतः प्रार्थना पत्र एवं वाद पर का 'दवलोकन' किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आवत वाद पर विद्वां क्रमाने स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विद्वां प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज किया गया। पत्रावली फैलल कुमार दीकर नंबर लेखन दीकर सखिल यन्त्र ही। <i>Neha</i>	<i>Deputy Magistrate</i> <i>Jobner</i>